

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फा0रा0

मुख्यालय

लखनऊ।

1-अंक अर- 63/जे0डी0/फा0रा0-14(गोबाद)
सेवा मे.

229

दिनांक अगस्त 21

2014.

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय: मैसर्स एस0एम0वी0 एजेन्सीज प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट नं0-जीएच-2 एन0एच0-24 ग्राम शाहपुर बग्हेटा, गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप होउसिंग भवन हेतु अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्यात किये जाने के सम्बन्ध में।

यू0आई0डी0: 2014/2250/GZB/Ghaziabad/188/JD

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना के माध्यम से प्रश्नगत आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्यात किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मापचित्री का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी आज दिनांक 12-08-2014 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा कर अपनी आख्या दिनांक 14-08-2014 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपलब्ध करायी गयी जिसका उनके द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण किया गया तथा अपनी सन्तुष्टि आख्या अधोहस्ताक्षर को उपलब्ध कराई गयी जिसका सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण अग्निहस्ताक्षरी द्वारा किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

- 1-कुल प्लॉट एरिया-78947.68वर्गमीटर।
- 2-प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया-19167.697वर्गमीटर।
- 3-प्रस्तावित अपर बेसमेण्ट कवर्ड एरिया-71141.270वर्गमीटर।
- 4-प्रस्तावित लोअर बेसमेण्ट कवर्ड एरिया-70376.760वर्गमीटर।

क्रम सं०	नाम ब्लॉक एवं तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया	कुल कवर्ड एरिया	भवन की ऊँचाई	स्टेयर केस की चौड़ाई(मी०मे)
01	टावर डी1, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+23 तल	626.639वर्गमी.	13577.778वर्गमी.	71.80मीटर	150/150
02	टावर डी2, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+23 तल	590.463वर्गमी.	12372.510वर्गमी.	71.80मीटर	150/150
03	टावर डी3, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+22 तल	866.394वर्गमी.	12792.811वर्गमी.	68.80मीटर	150/150
04	टावर डी4, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+22 तल	629.191वर्गमी.	12777.044वर्गमीटर	68.80मीटर	150/150
05	टावर डी5, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+23 तल	684.229वर्गमी.	14577.804वर्गमीटर	71.80मीटर	150/150
06	टावर के1, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19 तल	542.119वर्गमीटर	9729.276वर्गमीटर	59.80मीटर	150/150
07	टावर के2, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19 तल	542.119वर्गमीटर	9729.276वर्गमीटर	59.80मीटर	150/150
08	टावर ए1, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+22 तल	649.410वर्गमीटर	13253.766वर्गमीटर	68.80मीटर	150/150
09	टावर ए2, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+22 तल	649.410वर्गमीटर	13253.766वर्गमीटर	68.80मीटर	150/150
10	टावर ए3, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	861.175वर्गमीटर	13298.906वर्गमीटर	59.80मीटर	150/150
11	टावर ए4, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	861.175वर्गमीटर	13298.906वर्गमीटर	59.80मीटर	150/150
12	टावर ए5, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	861.175वर्गमीटर	13298.906वर्गमीटर	59.80मीटर	150/150
13	टावर ए6, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	861.175वर्गमीटर	13298.906वर्गमीटर	59.80मीटर	150/150
14	टावर ए7, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	861.175वर्गमीटर	13298.906वर्गमीटर	59.80मीटर	150/150
15	टावर ए8, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	861.175वर्गमीटर	13298.906वर्गमीटर	59.80मीटर	150/150
16	टावर आर1, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	2209.540वर्गमीटर	26758.111वर्गमीटर	59.80मीटर	150/150/150/150
17	टावर एस1, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+22तल	641.226वर्गमीटर	13129.222वर्गमीटर	68.80मीटर	150/150
18	टावर एस2, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+22तल	641.226वर्गमीटर	13129.222वर्गमीटर	68.80मीटर	150/150
19	टावर टी1, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	861.175वर्गमीटर	13298.906वर्गमीटर	59.80मीटर	150/150
20	टावर टी2, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	861.175वर्गमीटर	13298.906वर्गमीटर	59.80मीटर	150/150
21	टावर टी3, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	551.789वर्गमीटर	9726.215वर्गमीटर	59.80मीटर	150/150


संयुक्त निदेशक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

22	टावर आई. 2 बेसमेन्ट+रिटर्न+19 तल	742.318 वर्गमीटर	13037.673 वर्गमीटर	59.80 मीटर	1.50 / 1.50
23	कम्यूनिटी हाल 1. भूतल	311.550 वर्गमीटर	311.550 वर्गमीटर	3.0 मीटर	2.0
24	कम्यूनिटी हाल 2. भूतल	237.207 वर्गमीटर	237.207 वर्गमीटर	3.0 मीटर	2.0
25	कन्वीनीएन्ट शॉप, भूतल+प्रथम तल	674.820 वर्गमीटर	1265.557 वर्गमीटर	6.60 मीटर	1.50 / 1.50
26	ई0डब्ल्यूएस/एलआईजी, 2 बेसमेन्ट+भूतल+11 तल	790.917 वर्गमीटर	8436.312 वर्गमीटर	36.00 मीटर	1.50 / 1.25

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रशन्नगत भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी0-2005 आवासीय श्रेणी ए-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। प्रस्तुत मानचित्रों के अनुसार दोनों बेसमेन्ट तथा रिटर्न का प्रयोग पार्किंग हेतु एवं शेष सभी तलों का प्रयोग आवासीय हेतु किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त परिसर में दो कम्यूनिटी हाल एवं कन्वीनीएन्ट शॉप भी प्रस्तावित हैं।

बोचारागत व्यवस्था :-

- 1-पहुँच मार्ग:- मानचित्रों में भूखण्ड के सामने रोड की चौड़ाई 24.0 मीटर प्रदर्शित है।
- 2-प्रवेश/निकास द्वार:- मानचित्रों में प्रवेश द्वार/निकास द्वार की चौड़ाई 6.50 मीटर प्रदर्शित है।
- 3-सेटबैक :-परिसर में सेटबैक का विवरण निम्नवत है।

ए0-अग्रभाग-24.20 मीटर।

बी0-प्रष्ठ भाग-15.0 मीटर

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-15.0 मीटर

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-15.46 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के प्रस्तर 3.4.5 के अनुसार है। परिसर में चारों ओर अग्निशमन बाहनों हेतु वांछित न्यूनतम 9.0 मीटर मोटरेबुल मार्ग प्रदर्शित है। यह मार्ग सदैव अवरोध रहित (ओपन टू स्काई) रखे जाने अनिवार्य होंगे। मोटरेबुल मार्ग एवं टावरों के मध्य खाली स्थान 60 टन भार वहन क्षमता के अनुसार समतल रखते हुए इस प्रकार बनाया जाना अनिवार्य होगा कि अग्निशमन विभाग की बड़ी गाड़ियों की पहुँच प्रत्येक टावर की प्रत्येक बालकनी तक पहुँच सुनिश्चित हो सके जहाँ पर मानचित्रों में डोटिड लाइन से दर्शाया गया है, और इसमें किसी भी प्रकार का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अवरोध न आवे।

4-निकास मार्ग :-भवन के सभी तलों में उपरोक्त तालिकानुसार स्टेयरकेस प्रस्तावित है। भवन का निर्माण पूर्ण होने पर इनकी चौड़ाई मानचित्र में प्रदर्शित चौड़ाई से कम नहीं होनी चाहिए। प्लोर के संपर्क स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। प्रत्येक टावर की एक स्टेयर में 01 घण्टे फायर रेटिंग के फायर चैक डोर लगाये जाने अनिवार्य होंगे।

• लिफ्ट:- न्यूनतम एक लिफ्ट को एन0बी0सी0 मानकों के अनुरूप फायर लिफ्ट के रूप में बनाया जाना अनिवार्य होगा।

5-रिफ्यूज एरिया का विवरण:- भवन में प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान प्रस्तावित है जो एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था :- नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार निर्माकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वांछनीय है।

1-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर्स):- भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर्स आई0एस0-2190 के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

2-होजरील :- भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

3-वैटराईजर :- भवन में वैटराईजर सिस्टम एन0बी0सी0-2005 के मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है। है।

4-यार्ड हाईड्रेंट सिस्टम :-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेंट्स होज कैबिनेट एवं उसमें होज तथा वॉच पाईप तथा फायर सर्विस इन्लेट आई0एस0-13039:1991 के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

5-स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- दोनों बेसमेन्ट तथा 45.0 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले भवनों में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है। बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टेशन हेतु वाटर कर्टेन का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार करना अनिवार्य होगा।

6-हस्तचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में मैनुअली आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

7-भूमिगत टैंक- प्रशन्नगत भवन में अग्निशमन कार्यों हेतु 2,00,000 लीटर क्षमता के 02 अदद भूमिगत टैंक स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

8-पम्प-प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2280 एलपीएम क्षमता के 02 अदद विद्युत चालित पम्प, एवं समान क्षमता का डीजल चालित पम्प, तथा 180 एलपीएम क्षमता का जैकी पम्प स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

9-टैरिस टैंक:- प्रत्येक टावर/ब्लॉक में भवन की टैरिस पर 60 मीटर से अधिक ऊँचाई के टावरों में 25,000 हजार ली एवं शेष टावरों में 10,000 लीटर क्षमता का टैरिस टैंक स्थापित कराया जाना कराया जाना मानकों के अनुसार वांछनीय है।


 सचिव, निदेशक
 आवास सर्विस मुख्यालय
 प-५०, लखनऊ

10-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- भवन के दोनों बेसमेंट हेतु पृथक-पृथक डक्ट बनाकर स्मोक एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है। साधारण एक्झास्ट फैन स्मोक एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम के विकल्प के रूप में अनुमन्य नहीं है।

11-एग्जिट साईनेज:-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

12-पी0ए0सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था स्थापित करते हुए भवन के सभी तलों के कॉमन एरिया में लाउडस्पीकर लगाये जाये तथा पी0ए0 सिस्टम का कन्ट्रोल स्विच एवं माईक्रोफोन, एम्पलीफायर नियन्त्रण कक्ष (कण्ट्रोल रूम/सुरक्षा कक्ष) में अनिवार्य रूप से स्थापित कराया जाये। नियन्त्रण कक्ष में लिफ्ट के इन्टरकम्यूनिकेशन सिस्टम के साथ-साथ सभी आकस्मिक सेवाओं से सम्बन्धित संचार सुविधा उपलब्ध रहे।

13-प्रेशराईजेशन प्रणाली:-प्रत्येक टावर में एक स्टेयर में एवं लिफ्ट आदि वांछनीय स्थानों पर प्रेशराईजेशन प्रणाली का प्राविधान एन0बी0सी0 2005 के मानकों के अनुसार अनिवार्य रूप से कराई जायेगी।

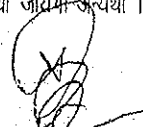
14-हैलीपैड:- प्रश्नगत भवन में हैलीपैड का प्राविधान एन0बी0सी0 मानक के प्रस्तर सी0-10 के अनुपालन में वांछनीय है।

15-प्रशिक्षित स्टाफ:- प्रश्नगत भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0-2005 के प्रस्तर सी0-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वांछनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुश्रवण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानकों के अनुसार वांछनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स एस0एम0बी0 एजेन्सीज प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट नं0-जीएच-2 एन0एच0-24 ग्राम शाहपुर बम्हेटा, गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर रथाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अत्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अरथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।


संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
गाजियाबाद
फायर सर्विस मुख्यालय
ब-3, ल-3

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी कोतवाली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स एस0एम0बी0 एजेन्सीज प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट नं0-जीएच-2 एन0एच0-24 ग्राम शाहपुर बम्हेटा, गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।